बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0—निग / सारा—1 (पथ) आरोप—30 / 2023 4261(S) पटना, दिनांक 22/6/26

मो० ताहिर अंसारी तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, टेकारी के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यो के उड़नदस्ता जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :–

1. **गुरूआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :–**

(i) पथ के 11वे कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25% के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी ।

(ii) पथ के 11वें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5% के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14% पायी गई।

2. **जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ**

(i) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में उपयोग किये गये Aggregate के FI +EI और औसत कुल 40% प्रावधान के विरूद्ध 42.48% पायी गयी है।

(ii) पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6%के विरूद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30%पायी गई है।

3. **जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ**

(i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-I! कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75%पायी गयी है।

(ii) पथ के 7वें कि०मी० में SDBC Gr-IIकार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है।

(iii) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में 40% प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है।

4. **इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ**

(i) पथ के 3रे कि०मी० में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.13% पायी गयी ।

(ii) पथ के 3रे कि०मी० में WMMमें 40% प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+ EI औसतन 41.03% पायी गयी ।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–6844 (एस) अनु०, दिनांक 10.11.2023 के द्वारा मो० अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो० अंसारी ने पत्र दिनांक 26.06.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त क्रमांक–2 पर अंकित जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ एवं क्रमांक–4 इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ ही इनसे संबंधित है। अपने अभ्यावेदन में मो० अंसारी द्वारा निम्न तथ्य रखा गया है :–

(i) जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ

त्रुटि संख्या–(i) के संबंध में अंकित किया गया है कि वर्णित पथ से WMM का नमूना तब लिया गया है, जिस समय WMM का कार्य निष्पादन हो चुका था। I.R.C द्वारा प्रकाशित MoRTH

के Specification for Road and Bridge Work (5th Revision) के Table 900–3 के क्रमांक–03 (iii) में Flakiness Index एवं Ellogation Index जाँच स्थल पर एकत्र W.M.M Material से कार्य सम्पादन के पूर्व करने का प्रावधान है। BIS (Bureau of Indian Standard) का IS2836 (Part-1) 1963 Rectfirmeo 2007 Edition 1.3 (1297–09) की कंडिका 04 एवं 05 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त नियम के तहत Stone Aggregate की मात्रा TRI को नहीं भेजा गया है तथा इसके अनुरूप FI & EI का पर्याप्त मात्रा के अभाव में TRI द्वारा किया गया Test विश्वसनीय प्रमाणित व भरोसेमंद नहीं है। Euro Code में FI+EI की अधिकतम सीमा 50% है जबकि IRC में इसकी सीमा 30% निर्धारित है।

त्रुटि संख्या–(ii) के संबंध में अंकित किया गया है कि 7वे कि०मी० में GSB एवं उपयोग किये Aggreegate के नमूने में मामूली विचलन पाया गया है, जो खुदाई के समय सही रूप से नमूने का collection नहीं हो पाने से भी संभव है।

(ii) इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ

त्रुटि संख्या–(i) के संबंध में अंकित किया गया है कि I.R.C द्वारा प्रकाशित MoRTH के Specification for Road and Bridge Work के Table 900–3 के 900–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाले स्टोन एग्रीगेट का परीक्षण कार्य प्रयोग में लाने से पहले ही किया जाना है तथा निर्माण कार्य होते समय DBM Gr-II के लिए Hot Mix Plant से करने के तुरंत बाद नमूना एकत्र कर बिटुमेन कन्टेंट के परीक्षण का प्रावधान है। पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत ज्ञापांक–340 (एस) दिनांक 07.01.2010 की कंडिका 3 (i) यह निर्णय अंकित है कि यदि Hot Mix Plant से BM Mix गिरने के तुरंत बाद जाँच नहीं की गयी तो बाद में करायी गयी जाँच के आधार पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्णित पथ में 3रें कि०मी० पथांश से DBM के नमूने को छेनी हथौड़ी से काटकर लिया गया था, जबकि इसे Core cutter से काटकर नमूना लेने का प्रावधान है। छेनी हथौड़ी से नमूना लेते वक्त नमुने का कुछ भाग के विखरने की पुरी संभावना रहती है, जिससे Bitumen content की सही गणना संदेहात्मक एवं अविश्वसनीय है।

त्रुटि संख्या–(ii) के संबंध में अंकित किया गया है कि MoRTh के Table 900-3 के क्रमांक–4 (iii) पर FI+EI का Test Stone Aggregate के कार्य में प्रयुक्त होने के पूर्व करने का प्रावधान है, जबकि उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–02 द्वारा WMM के निर्मित परत से लगभग 1.5 वर्ष बाद नमूना एकत्र कर FI+ EI Test किया गया है, जो निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

3. मो० अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पर विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत निम्न तथ्य उजागर किया गया है :–

जी०टी० रोड से घोराघाट पथ त्रुटि संख्या– (i)

FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा परामर्श दिया गया है कि FI+EI का औसत कुलमान 40% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगणय प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम कुलमान 60% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर Marginal effect पड़ेगा। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

जी०टी० रोड से घोराघाट पथ त्रुटि संख्या– (ii)

पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6% के विरूद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30% पायी गई है। P.L के संबंध में विभागीय मार्गदर्शिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इमामगंज से चन्द्र भाया रानीगंज पथ त्रुटि संख्या– (i)

पथ के 3रे कि०मी० में DBM Gr-II में Bitumen की औसत मात्रा 3.13% पाई गई। विभागीय मार्गदर्शिका में DBM Gr-II में अलकतरा की औसत मात्रा 4% से 3.56% पाये जाने पर Tolerance Limit के रूप में स्वीकार किया गया है। उक्त Tolerance नमूनों के संग्रहित करने तथा समय अनुसार Losses की गणना के आधार पर की गई है। आलोच्य DBM Gr-II कार्य में पाये गये अलकतरा की औसत मात्रा Tolerance Limit से कम 3.13% पाया गया है। अतः इस आरोप को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

इमामगंज से चन्द्र भाया रानीगंज पथ त्रुटि संख्या– (ii)

FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा परामर्श अंकित किया गया है कि FI+EI का औसत कुलमान 40% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम कुलमान 60% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर Marginal effect पड़ेगा। अतः इस आरोप को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

अतः मामले के सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में मो० ताहिर अंसारी के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में कार्य दायित्वों के समानुपातिक निर्धारित दिशा–निदेशानुसार मो० ताहिर अंसारी तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, टेकारी, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड।"

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 **पटना, दिनांक........................**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०) कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 **पटना, दिनांक........................**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **मो० ताहिर अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल टेकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 4262 (S) पटना, दिनांक 22/6/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

22/6/26
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Nigrani section-13&14\Dilip Jee\Adhisuchna&k.adesh.docx